



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी  
दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

वादपत्र संख्या 38/2017 (41/2013)

अनवान

1. केलीबाई पत्नि घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 58 साल व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी डोबिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. ज्ञानमल पिता गोदपुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 35 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रभुलाल पुत्र भेरूलाल जाति धाकड़ उम्र 64 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य - विद्वान अधिवक्ता वादीगण।  
2. श्री जगदीश धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

**वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 राज0 काश्तकारी अधिनियम**

**-: निर्णय :-**

दिनांक : 09 / 04 / 2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सख्या एक का ग्राम लक्ष्मीनिवास में स्थापित सार्वजनिक पूजा स्थल होकर जिसमें चारभुजा ठाकुर जी कि मूर्ति स्थापित है। माफीदार ठाकुर जी चारभुजाजी से जुडी उनकी कृषि खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मीनिवास में स्थित है। वादीगण के पूर्वजो द्वारा प्रतिवादी सख्या एक की खातेदारी मे दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 212 जिसका रकबा 16 बिस्वा के कुछ बिस्वा पर काश्त की जाती थी जिसके बदले मे खातेदारी भूमि मे उपज का 1/3 हिस्सा मन्दिर में भेट स्वरूप दिया जात था शेष 2/3 हिस्सा वादीगण के पूर्वजो के परिवार के सदस्यो द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता था वादीगण के पूर्वजो द्वारा भूमि का रख रखाव करने के अतिरिक्त भूमि उन्नत व विकसित समय समय पर किया गया जिसमें उन्होने अपनी अंग महनत एवम आर्थिक लागत वादग्रस्त काश्त भूमि पर लगायी। गत 1 बन्दोबस्त मे वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 212 आंशिक के नये बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 324 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा दर्ज अभिलेख हो वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त मे चले आ रहे हैं। जिनके द्वारा न केवल रख रखाव किया जा रहा है अपितु उस पर आर्थिक लागत भी लगायी जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15 अक्टुम्बर 1955 को सम्पूर्ण राजस्थान मे लागू किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आते ही जागीरदार एवम माफीदारो की खातेदारी समाप्त की जाकर काबिज काश्तकारान को उनके कब्जे वाली भूमि की खातेदारी दे दी गयी। इसी क्रम में जिन काबिजदारो ने समय पर आवेदन कर माफीदार व जागीरदार के नाम हटवा भूमि अपने नाम पर नही करवायी उनको इस क्षेत्र में हुये बन्दोबस्त के समय रेकर्ड व कब्जे की विधि के परिपेक्ष में जांच कर भूमि की खातेदारी काबिजदारो को प्रदान कर दी गयी। इसी क्रम में आराजी खसरा नम्बर 324 रकबे 1 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के पूर्वजो को प्राप्त हो गयी तभी से भूमि उनके नाम पर दर्ज खाता अभिलेख चली आ रही थी और माफीदार अर्थात् प्रतिवादी सख्या एक को उपज की दी जाने वाली हिस्सेदारी भी बन्द हो चुकी है। वादीगण पर माफीदार ठाकुर पुत्र भेरूलाल के पुत्र घीसीलाल व प्रभुलाल हुये जिनके हम वादीगण वारिस हैं।



लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

जो खातेदारी अधिकार जागीदारी व माफीदारी समाप्ती के पश्चात काबिल काश्तकारों को विधि के अनुसार दिये गये वे अधिकार किसी विधि से अब तक समाप्त नहीं किये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 01 नंबर सरकार की वर्ष 1992 में जारी विज्ञप्ति जिसमें मूर्ति के नाम पर दर्ज रही भूमि को मूर्ति के नाम पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। उसका बिना अध्ययन किये व विज्ञप्ति का आशय समझ बिना तत्कालीन खातेदारों की अनदेखी करते हुये तत्कालीन खातेदारों की खातेदारी को समाप्त करने पर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये तत्कालीन खातेदारों की खातेदारी को समाप्त करने पर अयोग्य है। वादीगण के वैध खातेदारी अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वादीगण अपने अधिकारों के पश्चात आज भी वादग्रस्त खसरा नम्बर के खातेदार होकर जरिये काश्त के उनका कब्जा है। वर्ष 1992 में मूर्ति के खातेदारी में दर्ज अभिलेख रही भूमि को वापस उसी के नाम दर्ज करने की जो विज्ञप्ति जारी की गयी उसका आशय केवल इस सीमा तक लागू था जो ऐसे मामले थे - (अ) कि मूर्ति के साथ मूर्ति की भूमि या सरबराकार का नाम दर्ज अभिलेख है तो उसको हटाया जाकर केवल मूर्ति के नाम पर मूर्ति दर्ज अभिलेख की जाये। (ब) कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात मूर्ति के साथ अभिलिखित खातेदार ने बिना किसी अधिकार के विधि विरुद्ध अधिकारों का उपयोग करते हुये नाबालिग मूर्ति की भूमि को विक्रय कर दिया है तो वह अवैध रूप से दर्ज किये गये अन्तरण को शून्य माना जाकर मूर्ति की भूमि को पुनः मूर्ति के नाम पर दर्ज अभिलेख की जावे। क्योंकि पूजारी अथवा सरबराकार को मूर्ति की भूमि को पुनः मूर्ति के नाम पर दर्ज अभिलेख करने का कोई अधिकार नहीं था। पूजारी एवम सरबराकारों ने अपने मूर्ति लाम के लिए केवल पूजा व प्रबन्धन के कार्य का दुरुपयोग करते हुये भूमि विक्रय कर दी किन्तु मूर्ति लाम के लिए केवल पूजा व प्रबन्धन के कार्य का दुरुपयोग करते हुये भूमि विक्रय कर दी किन्तु माफीदार की भूमि पर काश्त करने वालों के लिए वर्ष 1992 की विज्ञप्ति लागू नहीं थी क्योंकि काबिलद्वारा माफीदारों को खातेदारी अधिकार By Opiration of Law प्राप्त हुये। विधि की कियान्वती में दी गयी खातेदारी को राज्य सरकार की जारी विज्ञप्ती 1992 की परिधि में नहीं आने से वादग्रस्त जायदाद बाबत तत्कालीन खातेदारों की समाप्ती की गयी खातेदारी अवैध व शून्य है इसलिए वादीगण को पुनः वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 324 रकबे 1 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि अनुमूल है। वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त जायदाद पर निर्विवाद रूप से काबिल रह जरिये काश्त के कृषि भूमि का उपयोग करते रहे हैं वादीगण के पूर्वजों के पश्चात वादीगण का वादग्रस्त जायदाद पर साधिकार जरिये काश्त के कब्जा है जिसे किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जा सकता वादीगण को जरिये काश्त के भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार है किसी प्रकार का हस्तक्षेप या कब्जे हटाने का प्रतिवादी न0 2 का प्रयास अनुचित है। प्रतिवादी संख्या दो द्वारा राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त जायदाद को खातेदारी अधिकारों सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों में बदलाव की कोई जानकारी वादीगण अथवा उनके पूर्वजों को नहीं दी गयी न ही समुचित सुनवायी का अवसर दिया गया सीधे ही प्रतिवादी संख्या 2 एवम उसके अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरिक्षकों ने यह परिवर्तन किये। दिनांक 15-2-2013 को वादीगण को यह जानकारी हुयी कि उनके कब्जे वाली भूमि से उनका कब्जा हटाया जा रहा है क्योंकि काफी अर्सा पूर्व ही भूमि को प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर दर्ज कर दिया गया है तो वादीगण ने राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करवाया और पिछले रेकार्ड की जांच करवायी तो जानकारी हुयी कि वर्ष 1992 की विज्ञप्ती को कियान्वती में वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि को प्रतिवादी संख्या एक के नाम तत्कालीन समय के अभिलिखित खातेदारों का नाम हटाया जाकर दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या दो को खातेदार के विरुद्ध पारित किसी आदेश को लागू करने से पूर्व सुना जाना आवश्यक था। दिनांक 18-2-2013 को प्रथम बार वादीगण से सम्बन्धित उनके पूर्वजों की खातेदारी को समाप्त करने व और निरन्तर उनके वारिसों के नाम पर भूमि दर्ज नहीं करने की जानकारी होने से बिनायदाव उत्पन्न हो जारी है।

वादीगण अनुतोष चाहते हैं कि (अ) लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ0न0 324 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को वादग्रस्त जायदाद का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे। (ब) वादीगण को वादग्रस्त जायदाद पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। (स) अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता जगदीश धाकड़ को वादमित्र बनाया गया।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वादमित्र अधिवक्ता जगदीश धाकड़ ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। जवाब के विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम में अंकित किया कि देवता मन्दिर मूर्ति शास्त्रों के अनुसार नाबालिग होते हैं इस कारण मन्दिर की भूमि पर उप-कृषक को या काश्त करने





पत्रावली में साक्ष्यवादी में PW-1 ज्ञानमल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि  
 डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, PW-2 भगवानलाल पुत्र किशोर जाति धाकड़ उम्र 58  
 पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल  
 पत्रावली हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य  
 वादीगण में रखा गया।

वादमित्र अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी में ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल  
 संवत् 2073-76 प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श डी-1 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी  
 संवत् 2069 पेश की जो प्रदर्श-2 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2028-2031 पेश की जो  
 प्रदर्श डी-3 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2045-2048 की फोटो प्रतिलिपि पेश की जो  
 प्रदर्श डी-4 हैं जो शामिल पत्रावली हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी  
 निवासी हाल मु. प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल  
 पत्रावली हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी  
 निवासी हाल मु. प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां ने अपने बयान में लिखाया कि मैं वर्तमान में पटवार  
 हल्का गोपालपुरा में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073-2076  
 अनुसार ग्राम लक्ष्मीनिवास के खाता संख्या 163 पर अंकित आराजी नम्बर 320, 321, 322, 323, 324, 328,  
 329, 332 कुल किता 8 रकबा 0.73654 हैक्टेयर भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज  
 रेकॉर्ड हैं। जिसकी जमाबन्दी ई. हस्ताक्षरित ऑनलाईन जमाबन्दी की प्रति पेश की जो प्रदर्शानुसार हैं।  
 प्रस्तुत रेकॉर्ड में वादीगण का कही पर भी नाम अंकित नहीं हैं। वादगस्त जमीन श्री चारभुजा जी स्थान देह  
 के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मन  
 किया। साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि विपक्षीगण के  
 नाम दर्ज हैं। वादीगण के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से एवं भूमि पर कब्जा वादीगण का नहीं होने से प्रस्तुत  
 वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को  
 ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :-

—: आदेश :-

वादपत्र वादीया अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर  
 आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 324 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा के  
 सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री  
 किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।  
 आदेश आज दिनांक 09/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर



(अजीत/सिंह राठौड़)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 38 / 2017 (41 / 2013)

दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

अनवान्

1. केलीबाई पत्नि घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 58 साल व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. ज्ञानमल पिता गोदपुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 35 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रमूलाल पुत्र भेरूलाल जाति धाकड़ उम्र 64 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारमुजा ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 09 / 04 / 2026

डिक्री दिनांक : 09 / 04 / 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश धाकड़ को हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 324 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।



पत्र संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... बाबत .....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी सालाना आज की  
से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 04-वर्ष 2026 को जारी

गया।

  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

मुद्	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ( )	-		महनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)**

पीठासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 39/2017 (45/2013)

दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

अनवान्

1. श्रृगारी बाई पत्नि बरदीचन्द धाकड़ - (मृतक)
  - 1.1 भीमीबाई पुत्री बरदीचन्द पत्नी शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी थड़ौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
  - 1.2 नन्दूबाई पुत्री बरदीचन्द पत्नी देवालाल जाति धाकड़ निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
  - 1.3 कमला पुत्री बरदीचन्द पत्नी पन्नालाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मोहनलाल पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. दीनबन्धु पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मोतीलाल पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. पन्नालाल पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा नाथ ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य - विद्वान अधिवक्ता वादीगण  
2. श्री जगदीश धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1



**वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 राज0 काश्तकारी अधिनियम**

**-: निर्णय :-**

दिनांक : 09 / 04 / 2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक का ग्राम लक्ष्मीनिवास में स्थापित सार्वजनिक पूजा स्थल होकर जिसमें चारभुजा ठाकुर जी कि मूर्ति स्थापित है। माफीदार ठाकुर जी चारभुजाजी से जुडी उनकी कृषि खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मीनिवास में स्थित है। वादीगण के पूर्वजो द्वारा प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी मे दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 218 जिसका रकबा 11 बिस्वा पर काश्त की जाती थी जिसके बदले मे खातेदारी भूमि मे उपज का 1/3 हिस्सा मन्दिर में भेट स्वरूप दिया जाता था शेष 2/3 हिस्सा वादीगण के पूर्वजो के परिवार के सदस्यो द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता था वादीगण के पूर्वजो द्वारा भूमि का रख रखाव करने के अतिरिक्त भूमि उन्नत व विकसित समय समय पर किया गया जिसमें उन्होंने अपनी अंग महनत एवम आर्थिक लागत वादग्रस्त काश्त भूमि पर लगायी। गत बन्दोबस्त मे वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 218 आंशिक के नये बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 329 रकबा 7 बिस्वा दर्ज अभिलेख हो वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त मे चले आ रहे है। जिनके द्वारा न केवल रख रखाव किया जा रहा है अपितु उस पर आर्थिक लागत भी लगायी जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15 अक्टुम्बर 1955 को सम्पूर्ण राजस्थान मे लागू किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आते ही जागीरदार एवम माफीदारो की खातेदारी समाप्त की जाकर काबिज काश्तकारान को उनके कब्जे वाली भूमि की खातेदारी दे दी गयी। इसी क्रम में जिन काबीजदारो ने समय पर आवेदन

लगातार पेज संख्या 02 पर

**उप खण्ड अधिकारी**

**बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा**







पत्रावली में साक्ष्यवादी में PW-1 दिनबन्धु पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र 67 वर्ष पेशा कृषि अधिकारिता तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा का बयान लिया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य रखा गया।

वादिना अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी में ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल संवत् 2073-76 प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श डी-1 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी पेश की जो प्रदर्श डी-3 हैं।

ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2028-2031 पेश की जो प्रदर्श डी-3 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2045-2048 की फोटो प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श डी-4 हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां ने अपने बयान में लिखाया कि मैं वर्तमान में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073-2076

गोपालपुरा में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073-2076 ग्राम लक्ष्मीनिवास के खाता संख्या 163 पर अंकित आराजी नम्बर 320, 321, 322, 323, 324, 328, 332 कुल किता 8 रकबा 0.73654 हैक्टेयर भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी ई. हस्ताक्षरित ऑनलाईन जमाबन्दी की प्रति पेश की जो प्रदर्शानुसार हैं।

रेकॉर्ड में वादीगण का कही पर भी नाम अंकित नहीं हैं। वादगास्त जमीन श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। वादीगण के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से एवं भूमि पर कब्जा वादीगण का नहीं होने से प्रस्तुत वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :-

**:-: आदेश :-:**

वादपत्र वादीया अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 329 रकबा 7 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। उक्तानुसार डिक्री किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

आदेश आज दिनांक 09/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)**

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 39/2017 (45/2013)

दायर तारीख 11.08.2017 (10.08.2013)

अनवान्

1. श्रृगारी बाई पत्नि बरदीचन्द धाकड़ – (मृतक)
  - 1.1 भीमीबाई पुत्री बरदीचन्द पत्नी शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी थड़ीदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
  - 1.2 नन्दूबाई पुत्री बरदीचन्द पत्नी देवालाल जाति धाकड़ निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
  - 1.3 कमला पुत्री बरदीचन्द पत्नी पन्नालाल जाति धाकड़ निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. मोहनलाल पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. दीनबन्धु पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. मोतीलाल पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. पन्नालाल पुत्र बरदीचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा नाथ ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

उपस्थित :- 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादीगण।  
2. श्री जगदीश धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 रा0टी0एक्ट**

निर्णय दिनांक : 09 / 04 / 2026

डिक्री दिनांक : 09 / 04 / 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश धाकड़ को हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 329 रकबा 7 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिय हो।



उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नौजा Nil मुबलिया Nil  
 कर्ज का मुकदमे के मसूदा व शहर Nil  
 को जारी व पूरा करने तक Nil

बशर्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 09 वर्ष 2024 को जारी

3  
 (अजीत सिंह राठौड़)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियाँ

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ( )	-		महनताना वकील ( )	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3  
 (अजीत सिंह राठौड़)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियाँ